न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार प्रकरण संख्या 30 / 2024 (क्र.स.82 / 2024)

(GCMS 2022/119)(212636430829817)

श्री शिव कुमार आचार्य, कोर्ट कैम्पस, अनूपगढ़ **(मोबाईल नं. 82391–48588)**

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

28.08.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी शिव कुमार आचार्य को बार–बार आवाज़ लगाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के समक्ष दिनांक 28.03.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी। जो तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी शिव कुमार आचार्य ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.03.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थीः

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा उप–निबन्धक (जांच) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर, का पत्रांक प. 11(06)शिका / राम / बीकानरे–सम्भाग / 2023 / 188 दिनांक 31.01.2024 के द्वारा आपको मूल प्रार्थना पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही कर शिकायतकर्त्ता को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया था। उपरोक्त सन्दर्भ में निम्नलिखित जानकारीयां प्रदान करने का कष्ट करें :–   उपरोक्त सन्दर्भ में उल्लेखित [illegible] कि –   (1) यह कि आप [illegible] सन्दर्भ में जो भी कार्यवाही की गई, सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:56 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक स्थापना / 2024 / 306 दिनांक 05.07.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया हैः

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी शिव कुमार आचार्य द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इस कार्यालय से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक रीडर/विविध/2024/579 दिनांकि 01.05.2024 द्वारा प्रार्थी को प्रेषित कर दी गई है। सुलभ संदर्भ हेतु प्रार्थी को प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न जवाब अपील है।

अतः निवेदंन है कि प्रार्थी श्री शिवकुमार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-

(हाबूलाल मीना)RTS

तहसीलदार (राजस्व)

सूरतगढ़

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपील का उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है और उन्होंनें अपने पत्रांक रीडर/विविध/2024/579 दिनांक 01.05.2024 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। **इसप्रकार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.0[illegible].2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:45:56 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर